

Ref. No. - OIL/CO/SE/2019-20/38

August 06, 2019

Listing Department
BSE Limited,
Floor 25, P J Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400 001

Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, C-1 Block G
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Scrip Code:530135

Symbol: OPTIEMUS

Subject: Submission of copies of Newspaper advertisement regarding Intimation of Board Meeting

Dear Sir(s),

In compliance Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has issued an advertisement regarding intimation of ensuing Board Meeting scheduled to be held on 13th August, 2019 at the Corporate Office of the Company to consider and approve the Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019 in the following newspapers published today i.e. 06th August, 2019:

1. Business Standard (English) - circulating in whole or substantially whole of India;
2. Business Standard (Hindi) – circulating in Delhi (NCR).

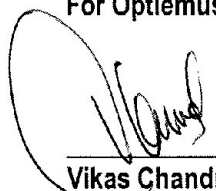
A copy of the published advertisement is enclosed herewith.

Kindly take the same on your records.

Thanking You,

Yours truly,

For Optiemus Infracom Limited



Vikas Chandra

Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: A22263



OPTIEMUS INFRACOM LIMITED

CIN : L64200DL1993PLC054086

Reg. Office: K-20, 2nd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024

P.: 011-29840906 | Fax: 011-29840908

Corp. Office: Plot No.-2A, 1st Floor, Wing-A, Sector-126, Noida-201 301 (U.P.)

P.: 0120-6721900-905 | www.optiemus.com



CESC
LIMITED
ESC House
Kolkata-700 001
ty Number :
PLC031411
X: 033-22255155
al@rp-sg.in
cesc.co.in

at the Unaudited
he Company for
June, 2019 will
by the Board of
ng to be held on
st, 2019.

accessed on
website at
o.in and may
on the website
anges at the
seindia.com,
dia.com and
1.

for CESC Limited
Subhasis Mitra
pany Secretary

RS LIMITED

PLC066065
No. - 51, Roz Ka
la, Dist. Gurugram
(Yan)

polymers.com,
sspolymers.com
95236-239,

of the SEBI (Listing
Requirements)
e informed that
of the Company will
Floor, Tower-2,
terra, Plot No. 22,
on Wednesday, the
34:00 P.M. inter-alia,
following:

ve the Un-audited
Company for the
June, 2019;

record the Limited
audited Financial
for the quarter ended

any other agenda

of Insider Trading)
or the BSE circular
of April 2, 2019, the
ies of the Company
July 1, 2019 till 48
n-audited Financial
Accordingly, the
in August 17, 2019.

polymers Limited
Sd/-
Mukesh Kumar
pany Secretary



OPTIMUS INFRACOM LIMITED

CIN: L64200DL1993PLC054086
Registered Office: K-20, 2nd Floor,
Lajpat Nagar, Part-2, New Delhi-110 024
Corporate Office: Plot No. 2A, First Floor,
Sector-126, Noida, Uttar Pradesh-201301
Ph: 0120-6721900
Email: info@optimus.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 (1) (a) read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 13th day of August, 2019, inter alia, to consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019. The said information may be accessed on the website of the Company at www.optimus.com and Stock Exchange's website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

By Order of the Board
Optimus Infracom Limited
Sd/-
Vikas Chandra
Company Secretary
Place : Noida (U.P.)
Date : 05.08.2019

KLK Capital Services Limited

CIN: L67120MH1994PLC218169
Registered Office: SKIL House, 209, Bank
Street Cross Lane, Fort, Mumbai - 400 023;
Tel: 022-6619 9000; Fax: 022-2269 6023;
E-mail: company.secretary@klkcapital.com;
Website: www.klkcapital.com

NOTICE

NOTICE is hereby given Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 and 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, August 13, 2019, to consider and approve, inter alia, the Un-Audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2019. The Notice can be accessed at the Company's website at www.klgcapital.com and also at the website of the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

For KLG Capital Services Limited
Sd/-
Ankit Singh
Chief Financial Officer
Place: Mumbai
Date: August 05, 2019



Government of Kerala

Published Tenders from 29-07-2019 to 04-08-2019

Department of Agriculture

Tender ID: 2019 AGRI_290445_1 * Chief Soil Chemist *
Procurement of Laboratory Equipments * Closing Date: 24-Aug-2019 * PAC: Rs2000000

Department of Animal Husbandry

Tender ID: 2019 DAH_289182_1 * Director of Animal
Husbandry * Purchase of rabies vaccine * Closing Date: 12-Aug-2019 * PAC: Rs3000000

Visit <https://etenders.kerala.gov.in> for more details.

Ro.No:29-04/Jul-Aug/2019/PRD/(N)13



SAFARI INDUSTRIES (INDIA) LTD.

Registered office: 302-303 A wing,
The Cube, CTS no.1498, A/2, MV Road,
Marol, Andheri (E), Mumbai - 400059
(T) +91 22 40381888, (F) +91 22 40381850,
Email id: investor@safari.in,
Website: www.safaribags.com,
CIN: L25200MH1980PLC022812

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 12th August 2019 to consider and approve, inter alia, the Un-audited Financial Results for the quarter ended 30th June 2019.

This Notice is also available on the Company's website www.safaribags.com and on the BSE website www.bseindia.com.

For Safari Industries (India) Ltd.
Sd/-
Sudhir Jatia
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Dated : 5th August 2019



Muthoot Finance Ltd

Muthoot Finance Limited
CIN: L55910KL1997PLC011300
Regd. Office: 2nd Floor, Muthoot Chambers
Opposite Saritha Theatre Complex, Banerji Road
Ernakulam, Kerala 682 018
Ph.: +91-484 239 6478, Fax: +91-484 239 6506
Email: mail@muthootgroup.com,
Website: www.muthootfinance.com

NOTICE

Notice is hereby given in Compliance with Regulation 47 read with Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, that a meeting of the Board of Directors of Muthoot Finance Limited is scheduled to be held on Monday, the 12th day of August, 2019 at the Registered Office of the Company to inter alia consider and approve the unaudited financial results of the Company for the Quarter ended June 30, 2019.

This Intimation is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) where the Securities of the Company are listed and shall also be available on the website of the Company at www.muthootfinance.com.

For Muthoot Finance Limited
Sd/-
Maxin James
Company Secretary
Date: 05.08.2019
Place: Ernakulam

UDAY JEWELLERY INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74900TG1999PLC080813

Reg. Office: Plot No. 5-9-60, Flat No.301, Moghuls Court Building, Deccan Tower Complex, Basheerbagh, Hyderabad- 500001. Ph:040-48538411
Website: www.udayjewellery.com ; E-mail: info@udayjewellery.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 13th August, 2019, at Plot No. 5-9-60, Flat No. 301, Moghuls Court Building, Deccan Tower Complex, Basheerbagh, Hyderabad- 500001, inter-alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019. For further details, refer to the Company's website: www.udayjewellery.com and the stock exchange website- www.bseindia.com. In this connection, as per the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended, the trading window for dealing in Equity shares of the Company is closed for the insiders and/ or connected persons from Monday, 1st July, 2019 till 48 hours from the declaration of Un-Audited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019.

For UDAY JEWELLERY INDUSTRIES LIMITED

Sd/-
Ritesh Kumar Sanghi
Managing Director
DIN:00628033



AARTI INDUSTRIES LTD.

CIN: L24110GJ1984PLC007301
Regd. Off.: Plot Nos. 801, 801/23, G.I.D.C. Estate,
Phase III, Vapi - 396 195, Dist. Valsad, Gujarat.
Website: www.aarti-industries.com

NOTICE

Notice is hereby given that Pursuant to Regulation 29 read with Regulation

BRAWN BIOTECH LIMITED

Regd. Off: 4B, Asaf Ali Road, II Floor,
Delhi Stock Exchange Building, New Delhi- 110002
(CIN: L74899DL1985PLC022468)

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Meeting of the Board of Directors of the company is scheduled to be held on Tuesday, 13th August, 2019 at 01:00 P.M. at its registered address situated at 4B, Asaf Ali Road, II Floor, Delhi Stock Exchange Building, New Delhi- 110002, inter-alia to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th June, 2019

The above information is available on the website of the Company at www.brawnbiotech.com and on the website of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com.

The outcome of the meeting shall also be made available on above mentioned websites.

For and on behalf of the Board

Sd/-
Priyanka Sharma
(Company Secretary)
Place : New Delhi
Date : 05.08.2019

THE HI-TECH G

CIN : L29130HR198
Regd. Office: Plot No. 1,
IMT Manesar - 122050, C
Corp. Office: Millennium
Sushant Lok-I, Gurgaon-
Website: www.thehitech.com
E-mail: secretarial@thehitech.com
Ph No. 0124-4715100 Fax
No. 0124-4715100

NOTICE

Pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, August 14, 2019, inter-alia:

i) To consider & approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2019.

ii) To fix the schedule for the General Meeting of the Company.

iii) To Approve the Book Closure of the Company.

iv) Any other matter with the Chair and other Directors.

The said information is also available on the website of the Company at www.thehitechgears.com and on the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com) (BSE) and (www.nseindia.com) (NSE).

By Order
The Hi-Tech

Place: Gurgaon
Date : 05.08.2019



ONE POINT ONE SOLUTIONS LIMITED

(CIN No. L74800MH2008PLC182659)
Regd. Office: International Infotech Park, T-762, Tower-7, 6th Floor,
Vashi, Navi Mumbai - 400703, Maharashtra, India.
Tel No. : +91 (22) 6687 3800, Fax No. : +91 (22) 6687 3889
Website: www.1point1.in Email: investors@1point1.in

NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 12th August 2019 at Navi Mumbai, inter-alia to consider and approve the Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2019, pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

This information is also available on the website of the Company www.1point1.in and the website of the Stock Exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For One Point One Solutions Limited
Sd/-
Prithesh Sonawane
Company Secretary

Place : Navi Mumbai
Date : 5th August, 2019



OMKAR SPECIALITY CHEMICALS

CIN: L24110MH2005PLC151589
Reg. Off: B-34, M.I.D.C., Badlapur (East), Thane - 421 505
Tel.: +91 (0251) 2697340, 2690651; Fax: +91 (0251) 2697347,
Email: investor@omkarchemicals.com; Web: www.omkarchemicals.com

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, August 14, 2019, at the registered office of the Company, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2019.

This information is also available on the website of the Company at www.omkarchemicals.com and on the website of the Stock exchanges where the shares of the Company are listed (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For OMKAR SPECIALITY CHEMICALS
Sd/-
Company Secretary and Com

Date : 05.08.2019
Place : Badlapur

NARBADA GEMS AND JEWELLERY LIM

CIN: L01222TG1992PLC014173

Reg. Office: 3-6-291/4/B, 2nd Floor, Hyderguda, Hyderabad- 500029. Ph: 040-23611111
Website: www.narbadajewellery.com ; E-mail: comsec@narbadajewellery.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 13th August, 2019, at 2nd Floor, Hyderguda, Hyderabad- 500029, inter-alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2019. For further details, refer to the Company's website: www.narbadajewellery.com and the stock exchange website- www.bseindia.com.

In this connection, as per the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended, the trading window for dealing in Equity shares of the Company is closed for the insiders and/ or connected persons from 1st July, 2019 till 48 hours from the declaration of Un-Audited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019.



T WIRE ROPES LIMITED

Identity Number(CIN): L27200MH1986PLC040468
Plot No. 4, MIDC, Chalisgaon Industrial Area, Village - Khadki,
Dist - Jalgaon - 424 101, Maharashtra, India. Tel.: +91-02589-211000.
Wing, Trade World Building, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg,
013, Maharashtra, India. Tel.: +91-22-66824600 Fax: +91-22-66824666
www.twireropes.com | E-mail: investors@bharatwireropes.com

NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 13th August, 2019, at 2nd Floor, Hyderguda, Hyderabad- 500029, inter-alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2019. For further details, refer to the Company's website: www.narbadajewellery.com and the stock exchange website- www.bseindia.com.

12 कश्मीर: अनुच्छेद 370

आरिवर क्या है 35ए और 370 का चक्कर ?

आशिष आर्यन

जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 35ए और 370 को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में रखे जाने के साथ ही सरकार ने कई दिनों से चल रही अटकलों पर रोक लगाने का काम किया है। अधिकांश दलों का कहना है कि इस कदम से जम्मू कश्मीर का देश के अन्य हिस्सों से एकीकरण अधिक सहज हो सकेगा जबकि कुछ दल इसे पत्तीते में आग लगाने जैसा कदम बता रहे हैं।



अनुच्छेद 35ए क्या है?

संविधान का यह प्रावधान जम्मू कश्मीर की राज्य विधानसभा को यह तय करने का अधिकार देता है कि इस राज्य का स्थायी कौन है और कौन नहीं? यह संवैधानिक प्रावधान जम्मू कश्मीर के विधायकों को यह परिभाषित करने का विशेष अधिकार देता रहा है कि राज्य के भीतर या बाहर के कौन से लोग विशेषाधिकार के हकदार होंगे। वर्ष 1954 में राष्ट्रपति के विशेप आदेश से संविधान में जोड़ा गया यह प्रावधान राज्य विधानसभा को यह तय करने का भी अधिकार देता रहा है कि सरकारी अनुदानों का हकदार कौन होगा, कौन लोग कश्मीर में जमीन एवं संपत्ति खरीद सकते हैं और किन लोगों को वहां पर स्थायी रूप से

निवास का अधिकार होगा ? इसके अलावा जम्मू कश्मीर की विधानसभा राज्य के स्थायी निवासी श्रेणी में शामिल नहीं किए गए किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को सीमित करने का प्रावधान भी बना सकती है।

क्या 35ए में संशोधन या निरसन हो सकता है?

विशेषज्ञों का मानना रहा है कि अनुच्छेद 35ए का निरसन केंद्र सरकार के लिए एक शक्ति का मानना रहा है कि उच्चतम कानूनी रूप से दुष्कर कार्य हो सकता है। इस प्रावधान में किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए राज्य की संविधान सभा की उस पर सहमति अनिवार्य है।लेकिन 1957 में इस संविधान सभा का वजूद खत्म हो गया था। उसके बाद विधानसभा से इस

निरसन पर मंजूरी लेना व्यावहारिक तौर पर असंभव हो गया।

संविधान विशेषज्ञ शुभंकर दाम कहते हैं, ‘हमें यह समझना होगा कि इस प्रावधान को शक्ति कहां से मिलती रही है? वर्ष 1957 में लागू किए जाते समय संविधान सभा ने मांग रखी तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर इसे जगह दी गई। उस समय केंद्र को इस प्रावधान के लिए जगह बनाने पर मजबूर होना पड़ा था। हमें उस समय और संदेभों को भी समझना होगा।’ हालांकि कुछ अन्य विशेषज्ञ इससे असहमति जताते हुए कहते हैं कि राज्य में विधानसभा की वैध मौजूदगी होने की स्थिति में अनुच्छेद 35ए में कोई भी बदलाव विधानसभा कर सकती है।

अनुच्छेद 35ए हटा दिए जाने पर क्या होगा?

संविधान से अनुच्छेद 35ए को हटाने के फैसले का राजनीतिक फलितार्थ होने के साथ ही सरकार को इस कदम से पैदा होने वाली कानूनी एवं नियामकीय चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना रहा है कि उच्चतम न्यायालय के अलावा चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार भी सीमित हो जाएगा। इस अनुच्छेद का निरसन करने के अलावा एक दलकल्प यह भी रहा है कि सरकार अनुच्छेद 370 को ही खत्म कर दे जिससे अनुच्छेद 35ए अपने-आप निरस्त हो जाएगा। लेकिन

अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ती। इसीलिए सरकार ने अनुच्छेद 370 को पूरी तरह न हटाते हुए उसके उपबंध 1 को छोड़कर बाकी सबको हटाने का प्रस्ताव रखा है जिसके लिए सामान्य बहुमत ही जरूरी होगा।

अनुच्छेद 370 क्या है?

जम्मू कश्मीर के नेताओं एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केंद्रीय नेतृत्व के बीच विवाद की जड़ रहा अनुच्छेद 370 इस राज्य को विशेष शक्तियों से लैस करता है। यह राज्य की संविधान सभा को अपना संविधान बनाने का अधिकार देता है जिससे इसे स्वायत्तशासी राज्य का दर्जा मिलता है। दिवंगत पत्रकार बी जी वर्गीज ने अपनी किताब ‘ए जे एंड के प्राइमर’ में कहा था कि वर्ष 1947 में कश्मीर के भारत में विलय के बाद लागू हुआ अनुच्छेद 370 लगातार केंद्र-राज्य के रिश्तों के प्रबंधन का एक तंत्र ही साबित हुआ है।

क्या अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है?

इस प्रावधान को अस्थायी बताते हुए इसे कई बार चुनौती दी जाती रही है। उच्चतम न्यायालय और कई उच्च न्यायालयों ने भी बार-बार यह कहा है कि अनुच्छेद 370

असल में संविधान का एक स्थायी प्रावधान है। वर्ष 2018 में शीर्ष अदालत ने अपने एक फैसले में कहा था कि भले ही इस अनुच्छेद का शीर्षक इसे अस्थायी बताता हो लेकिन यह स्थायी प्रकृति का है।

न्यायमूर्ति ए के गोयल और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन के पीठ ने कहा था, ‘विचारणीय मुद्दा 2017 के सरफाएसी अधिनियम में दिए गए फैसले में समाहित है। हमने कहा था कि अनुच्छेद 370 के शीर्षक में अस्थायी का जिक्र होने के बाद भी यह एक अस्थायी प्रावधान नहीं है।’

अनुच्छेद 35ए और अनुच्छेद 370 क्या विशेष प्रावधान हैं?

अनुच्छेद 35ए और 370 के जरिये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की प्रचलित धारणा के बावजूद अधिकतर संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि इसी तरह के प्रावधान केंद्र ने कुछ अन्य राज्यों के साथ भी कर रखे हैं। दाम कहते हैं, ‘भारत के कई इलाकों में इसी तरह की छूट दी गई है। मसलन, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के भीतर भी वहां के निवासियों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति जमीन या संपत्ति नहीं खरीद सकता है। हालांकि उन राज्यों में स्थायी निवासी की अवधारणा नहीं रही है।’

फैसले से किसी को खुशी तो कहीं गम

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के कदम का कश्मीरी पंडितों ने स्वागत किया है। कश्मीर घाटी से 1990 के दशक में विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों ने उम्मीद जताई कि इससे मूल स्थान पर सम्मान और गरिमा के साथ उनकी वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा। दूसरी तरफ कश्मीर के लोगों ने घाटी में हिंसा का नया दौर शुरू होने की आशंका जताई और कहा कि इससे राज्य की मुस्लिम बहुलता वाली पहचान में बदलाव हो सकता है।

दुनिया भर में समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा (जीकेपीडी) ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय भारतीय संघ की क्षेत्रीय, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करता है। बयान में कहा गया है, ‘संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत मसौदा विधेयक भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए अप्रसा जीवन सर्मापित करने वाले हमारे शयामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य महान नेताओं के आदर्शों की पुष्टि करता है।’

जम्मू कश्मीर विचार मंच के अध्यक्ष मनोज भान ने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के साथ ही भारत सरकार जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के करीब लाने में समर्थ होगी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित समुदाय को उम्मीद है कि मोदी सरकार जल्द ही घाटी में उनकी वापसी के लिए एक ढांचा तैयार करेगी। भान ने कहा कि वे घाटी में एक अलग समझौता चाहते हैं, जिसके तहत सभी कश्मीरी पंडित एक साथ रह सकें। इस बीच, कश्मीर के लोगों का कहना है कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने से

नई दिल्ली | 6 अगस्त 2019 मंगलवार
बिज़नेस स्टैंडर्ड

मोदी ने की शाह के भाषण की तारीफ

एजेंसियां

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के संकल्प पर राज्य सभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की आज जमकर तारीफ की। उन्होंने भाषण को व्यापक और सारगर्भित बताते हुए कहा कि इसमें अतीत के ऐतिहासिक अन्याय को सटीक ढंग से रेखांकित किया गया है।

मोदी ने शाह के भाषण के बाद दिव्तर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दृवीट कर कहा कि यह भाषण जम्मू कश्मीर के हमारे भाइयों एवं बहनों के बारे में सहभागितापूर्ण दृष्टि सामने रेखांकित किया गया है।

मोदी ने शाह के भाषण के बाद दिव्तर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ‘गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा में दिया भाषण व्यापक और सारगर्भित था। यह अतीत के ऐतिहासिक अन्याय को सटीक ढंग से रेखांकित करता है।’ सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने संबंधी अनुच्छेद 370 समाप्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला



किया है। एक प्रदेश जम्मू कश्मीर होगा और लद्दाख अलग होकर दूसरा प्रदेश होगा। इनमें से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र की अपनी विधायिका होगी, जबकि लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र होगा।

राज्य सभा ने इस उद्देश्य से पेश दो सरकारी संकल्पों – जम्मू कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को ध्वनित से पारित कर दिया। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पारित करने के लिए उच्च सदन में हुए मत विभाजन में संबंधित प्रस्ताव को 61 के मुकाबले 125 मतों से मंजूरी दे दी गई।

<div>शिवालिक मकैटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.</div> <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div>(प्रधान कार्यालय: पहली मंजिल, हकीकत नगर, सहारनपुर (उ.प्र.)</div>					
इंदिरापुरम शाखा, रेजन शॉपिंग कॉमप्लेक्स, प्लॉट नं. 3, अनीषा खंड-II, इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उ.प्र.)					
कच्चा सूचना					
(अवल सम्पत्तियों के लिए)					
[नियम 8(1)]					
बुंकि शिवालिक मकैटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के तहत यहां नीचे सारणी में उल्लेखित तारीखों को एक मांग सूचना जारी की गई थी, जिसमें कर्जदारों तथा गारंटीदाताओं को इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर प्रत्येक कर्जदारों तथा गारंटीदाताओं के समक्ष उल्लेखित रकम चुकता करने को कहा गया था।					
कर्जदार एवं गारंटीदाताओं द्वारा रकम का भुगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदारों, गारंटीदाताओं एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लेखित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमों, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा यहां नीचे सारणी में उल्लेखित तारीखों को प्रत्येक कर्जदार तथा गारंटीदाता के समक्ष यहां नीचे उल्लिखित सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया गया है।					
विशेष तौर पर कर्जदारों एवं गारंटीदाताओं तथा आम तौर पर जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि यहां नीचे प्रत्येक कर्जदार के समक्ष उल्लेखित संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करे तथा उत्त संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा प्रत्येक कर्जदार के समक्ष उल्लेखित रकम, उस पर व्याज तथा अन्य व्यय की रकम के लिए शिवालिक मकैटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., इंदिरापुरम शाखा, रेजन शॉपिंग कॉमप्लेक्स, प्लॉट नं. 3, अनीषा खंड-II, इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उ.प्र.) 201014 के प्रभार का विषय होगा।					
शाखा	कर्जदार/गारंटीदाताओं का नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख	कच्चा की तारीख	बकाया रकम (रुपये में)
इंदिरापुरम शाखा, रेजन शॉपिंग कॉमप्लेक्स, प्लॉट नं. 3, अनीषा खंड-II, इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उ.प्र.)- 201014	1) श्री क्रिश्ना कुमार पिता श्री चमन सिंह (कर्जदार) श्रीमती सुरेश पति श्री चमन लाल एवं श्री मनोज कुमार पिता श्री चमन लाल (गारंटीदाता)	खाता नं. 544, खसरा नं. 217, ग्राम-साविक नगर, पराना- लेनी, जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) में स्थित पूर्ण स्वामिल वाला रिहायशी प्लॉट क्षेत्रफल 125.41 वर्ग मीटर अथवा 150 वर्ग यार्ड पर सांथिक बंधक वाली सम्पत्ति	14.08.2018	31.07.2019 (मौलिक)	रु. 8,84,011.43 दिनांक 14.08.2018 के अनुसार (साथ में दिनांक 28.07.2018 तक व्याज) साथ में दिनांक 29.07.2018 से आगे के व्याज उस पर लागत, व्यय एवं आकस्मिक खर्चों की रकम रु. 7,74,231.00 दिनांक 08.04.2017 के अनुसार साथ में उस पर आगे के व्याज, लागत, व्यय एवं आकस्मिक खर्चों की रकम
	2) श्री राजेश कुमार पिता श्री सूरज सिंह एवं श्रीमती रुमा देवी पति श्री राजेश कुमार (कर्जदार) श्री वीरपाल पिता श्री सुरेन्द्र सिंह (गारंटीदाता)	श्रीमती रुमा देवी (कर्जदार), पति श्री राजेश यादव के नाम पर खसरा नं. 218 एमआई, 219 एमआई, 220 एमआई, 221 एमआई, 222 एमआई, 223 एमआई में पुरानी आवादी खाता नं. 00112, ग्राम सलापुर खदर, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.) में स्थित पूर्ण स्वामिल वाला रिहायशी प्लॉट क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर अथवा 45.14 वर्ग मीटर पर सांथिक बंधक वाली सम्पत्ति	28.06.2017	31.07.2019 (प्रतीकालक)	
			अधिकृत अधिकारी शिवालिक मकैटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.		

कार्यालय : वसूली अधिकारी ऋण वसूली न्यायाधिकरण— I, दिल्ली चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001

आर. सी. सं. 156/18

आईसीआईसीआई बैंक बनाम भरत कुमार

नीलामी बिक्री वेबसाइट <https://drt.auctiontiger.net> के माध्यम से 'ऑनलाइन ई-नीलामी' होगी

नीलामी की तिथि एवं समय : 28-08-2019 को अप. 03.00 बजे और अप. 04.00 बजे के बीच (अप. 04.00 बजे के बाद 5 मिनट के विस्तारों सहित, यदि अपेक्षित है)।

क्र. सं.	सम्पत्ति का वर्णन	सुरक्षित मूल्य	ईएमडी
1.	कॉमर्शियल प्रॉपर्टी प्राइवेट नंबर एस-4, एस-5, म्युनिसिपल नंबर 2523 (नया) तथा 2556 (पुराना), दिल्ली राज्य यार्ड नंबर 16, ब्लॉक नंबर एम, गली नंबर 7 एवं 8, नाईयाला एस्टेट, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली	रु. 1,38,60,000 /— (रु. एक करोड़ अड़तीस लाख साठ हजार मात्र)	रु. 13,86,000 /— (रु. तेरह लाख छियासी हजार मात्र)

नियम और शर्तें:

- ईएमडी **वसूली अधिकारी– I, डीआरटी– I, दिल्ली** खाता आर/सी सं. 156 / 18 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से पहचान पत्र (निर्दिष्ट आई कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट), जिसमें आगे संचार / पत्रव्यवहार के लिए पता होना चाहिए, की स्व-सत्यापित प्रति तथा पैना कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति के साथ जमा करनी होगी, जो वसूली अधिकारी– I, डीआरटी–1, दिल्ली के कार्यालय में अधिकतम **28-08-2019 अप. 5.00 बजे** से पूर्व पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद प्राप्त ईएमडी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ईएमडी सन्निहित लिफाके पर 'आरसी सं. 156/18' तथा प्रेषक का विवरण अर्थात पता, ई-मेल आईडी और मोबाइल नम्बर इत्यादि शीघ्रपंक्ति किया जाना चाहिए।
- सम्पत्ति की बिक्री '**जैसा है जहां है आधार**' पर की जा रही है।
- बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपनी बोली देने तथा ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पोर्टल <https://drt.auctiontiger.net> पर अक्की तरह पढ़ लें तथा/ अथवा **श्री राजेन्द्र शर्मा, आईसीआईसीआई बैंक के पदाधिकारी, फोन नंबर 011-42218349, मोबाइल नंबर +91-9899028400, ई-मेल आईडी : rajendra.sharma@icicibank.com** से सम्पर्क करें।
- भविष्यकाली बोलीदाताओं से पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना तथा **मैसर्स ई-प्रोयोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड – ऑनकम टाइगर, सम्पर्क व्यक्ति : श्री रामप्रसाद शर्मा, सम्पर्क नंबर 9374619754-079-61200 598/554/594/587/559, ई-मेल आईडी : delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net कॉर्पोरेट कार्यालय : बी-704, वील स्ट्रीट- I, ओरिएंट क्लब के सामने, निकट गुजरात कालेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात** से आईडी/ पासवर्ड पर्याप्त अभिम में प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, जो उपरोक्त ई-नीलामी में बोलीदान के लिए अनिवार्य है।
- इच्छुक बोलीदाता मैसर्स ई-प्रोयोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड – ऑनकम टाइगर से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
- केवल वे बोलीदाता ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ग्राह्य होंगे जो वैध यूजर आईडी एवं पासवर्ड और डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से ईएमडी भुगतान पुरि के धारक हैं।
- इच्छुक बोलीदाता जो 26-08-2019 अप. 05.00 बजे तक अपनी बोलियां दे चुके हैं तथा जो सुरक्षित मूल्य से कम नहीं है ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ग्राह्य होंगे जो **28-08-2019 को अप. 03.00 बजे और अप. 04.00 बजे** के बीच आयोजित की जाएगी। नीलामी समाप्त होने के आखिरी 5 मिनट में कोई बोली आने पर नीलामी समाप्त होने का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
- बोलीदाता अपनी बोली **रु. 1,00,000 /— (रु. एक लाख मात्र)** के गुणज में बढ़ाएंगे।
- साफल /उपलब्ध बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर उपरोक्त धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद, **वसूली अधिकारी– I, डीआरटी– I, दिल्ली** खाता आर.सी. सं. 156 / 18 के पक्ष में ई-नीलामी समाप्त होने के बाद 24 घंटे के भीतर तैयार करना होगा तथा वसूली अधिकारी के कार्यालय इस प्रकार भेजना होगा कि ई-नीलामी समाप्त होने के बाद 3 दिन के भीतर पहुंच जाना चाहिए, जिसमें असफल रहने पर धरोहर राशि (ईएमडी) जमा कर ली जाएगी।
- क्रेता को बिक्री मूल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि **वसूली अधिकारी– I, डीआरटी– I, दिल्ली** खाता **आर.सी. सं. 156/18** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से, **वसूली अधिकारी– I, डीआरटी– I, दिल्ली** के पास सम्पत्ति की ई-नीलामी की तिथि से 15वें दिन अथवा पूर्व, उस तिथि को छोड़कर, और 15वां दिन रविवार या अकराश दिवस होने की स्थिति में 15वें दिन के बाद पहले कार्य दिवस को रजिस्ट्रार, डीआरटी–1, दिल्ली के पक्ष में रु. 1000/- तक 2 प्रतिशत निर्देश शुल्क तथा रु. 1000/- से ऊपर सकल राशि पर 1 प्रतिशत निर्देश शुल्क के साथ जमा करनी होगी। शेष 75 प्रतिशत राशि डाक द्वारा जमा करने की स्थिति में यह वसूली अधिकारी को उपरोक्तानुसार प्राप्त हो जानी चाहिए।
- असफल बोलीदाता धरोहर राशि जमा ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया समाप्त होने के तत्काल पश्चात सीधे **वसूली अधिकारी– I, डीआरटी– I, दिल्ली** के कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे।
- वसूली अधिकारी के पास किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी प्राश्थगित या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(संजु, सेठी),

वसूली अधिकारी–I, डीआरटी– I, दिल्ली

अपोलो पाइप्स लिमिटेड
(पूर्ववर्ती "अमृत्यु लीमिंग एंड काउन्सेल लिमिटेड")
सीआईएन: L65999DL1985PLC022723
37, हरणीविंद एक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
ईमेल आईडी: compliance@apollopipes.com
वेबसाइट: www.apollopipes.com
फोन: 011-43334000 / 0120-4633333

सूचना
सेबी (सूचीबद्ध वॉलिव एंड प्रकटन आश्चर्यकार्णी) नियमावली, 2015 (एनओडीआर) के नियम 29 के अनुसार एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक कंपनी के कारपोरेट कार्यालय: 36, कोशीबी, निकट आनंद विहार टीसीए, दिल्ली एरसीआर, गाजियाबाद-201010 (उ.प्र.) में सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को आयोजित की जायेगी: (i) 30 जुन, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन

(ii) अन्य कोई विषय जो बोर्ड को उचित लगे। साथ ही सेबी (अनाधिकृत ट्रेडिंग निषेध) नियमावली, 2015 के अनुसार कंपनी के पदनामित व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग निगमन, अनुबंधन और रिपोर्ट आचार संहिता के अनुपालन में कंपनी की ट्रेडिंग विंडो कंपनी के इक्विटी शेयरों में लेनदेन के लिए सोमवार, 1 जुलाई, 2019 से पहले ही बंद है और यह मुखवार, 15 अगस्त, 2019 को पुनः खलेगी।
निदेशक मंडल की ओर से हिते अपोलो पाइप्स लिमिटेड हस्ता./—
अजय कुमार जैन
स्थान: गाजियाबाद
दिनांक: 5 अगस्त, 2019 **मुख्य निदेशक**

<div> GULSHAN POLYOYS LIMITED</div> <div>CIN: L24231UP2000PLC034918</div> <div>Regd. Off.: 9th K.M. Jansath Road, Muzaffarnagar- 251001 (UP)</div> <div>Website: www.gulshanindia.com</div> <div>email: cs@gulshanindia.com</div> <div>Tel: 011-49989200, Fax: 011-49999202</div>
NOTICE
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 13th August, 2019 at G-81, Preet Vihar, Delhi-110092 to consider and approve, interalia, the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30 th June, 2019.
The information contained in this Notice is also available on Company's website www.gulshanindia.com and on the Stock Exchange website: www.nseindia.com and www.bseindia.com
For Gulshan Polyols Limited
<div><div><div>Sd/-</div><div>(Vijay Kumar Garg)</div><div>Company Secretary</div></div></div>
Delhi 05th August, 2019

<div> ऑप्टीमस इंफ़ाकोम लिमिटेड</div> <div>सीआईएन: एल64200DL1983PLC054086</div> <div>पंजीकृत कार्यालय: कैं-20, दूसरा तल, लाजपत नगर, गाँव-2, नई दिल्ली-110024</div> <div>कारपोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. 29, ब्याज तल, सेक्टर-126, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301</div> <div>फोन: 0120-6721900</div> <div>ईमेल: info@optiemus.com</div>
सूचना भारतीय प्रचलित और निगमन बोर्ड (सूचीबद्ध वॉलिव और प्रकटन आश्चर्यकार्णी) नियमावली, 2015 के नियम 47 के साथ प्रतिनियम 29(1)(ए) अनुसार हमें एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 13 अगस्त, 2019 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जुन, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित एतद्वारा और समेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किया जायेगा। उक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट www.optiemus.com और स्टॉक एक्सचेंजों www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। बोर्ड के आवेदनानुसार ऑप्टीमस इंफ़ाकोम लिमिटेड हस्ता./— विकास शर्मा कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी एन.नं. 22283
स्थान : नोएडा (उ.प्र.) दिनांक: 05.08.2019

<div>अपनी प्रति के लिए</div>
<div>Call 022 24978470</div>
<div>SMS reaches to 57575</div>
<div>e-mail us at: order@bsmail.in</div>
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div>
बिज़नेस स्टैंडर्ड
वेदार किन्नेरल को, जो आपकी पक्षा में हो

पंजाब नैशनल बैंक Punjab national bank ...मेरेरी के प्राधिकारी ...the name you can BANK upon!		सांकेतिक कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)					
जबकि, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्कोरिटाइजेशन एण्ड रिकसट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्सेमेंट ऑफ सिक्कोरिटी इंस्ट्रस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्कोरिटी इंस्ट्रस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का कच्चा मोदी दी गई दिनांक को ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नौबीं खाते के सम्बन्ध रखम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आसितियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्राक्कान की ओर आकृष्ट किया जाता है।							
क्र.सं.	शाखा	खाते का नाम	ऋणकर्ता का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	सांकेतिक कच्चा नोटिस की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया रकम
	1. बागपत रोड मेरठ	मैसर्स ईशान इंटरप्राइजेज, खाता संख्या-2533000870 0003629	योगेश चन्द्र लाल, पुत्र श्री जगदीश लाल, 216/2, शिव शंकरपुरी, शारदारोड, मेरठ 2. 466/2, कमलानगर, मेरठ।	बंधक सम्पत्ति स्थित म्यूसिनसिपल नं० 216/2, मौहल्ला शिव शंकरपुरी, शारदा रोड, मेरठ, माप क्षेत्रफल 51.57 वर्ग मीटर।	24.04.2019	02.08.2019	₹ 34,85,969.59/- + ब्याज दिनांक 01.04.2019 एवं अन्य खर्चें
	2. सिकन्दर-2 शास्त्री नगर	मेसर्स मिलाप ट्रेडर्स खारसंख्या-4009008 70001090 आवासीय पता: एल-1206, शास्त्रीनगर, मेरठ। 3. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री चमन लाल मदान (ऋणी) पता: एल-1206, शास्त्री नगर, मेरठ। 4. श्री राज कुमार मदान पुत्र श्री चमन लाल मदान (गारंटर) पता: एल-1188 शास्त्रीनगर, मेरठ 4. श्री हरिओम मदान पुत्र श्री चमन लाल मदान (गारंटर) पता: एल-1186 शास्त्रीनगर, मेरठ	1. मैसर्स मिलाप ट्रेडर्स ऑफिस पता: के-883, लोहिया नगर, मेरठ आवासीय पता: एल-1206, शास्त्रीनगर, मेरठ। 3. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री चमन लाल मदान (ऋणी) पता: एल-1206, शास्त्री नगर, मेरठ। 4. श्री राज कुमार मदान पुत्र श्री चमन लाल मदान (गारंटर) पता: एल-1188 शास्त्रीनगर, मेरठ 4. श्री हरिओम मदान पुत्र श्री चमन लाल मदान (गारंटर) पता: एल-1186 शास्त्रीनगर, मेरठ	सम्पत्ति नं० 1. वाणिज्यिक सम्पत्ति स्थित के-883, (ए.आई.जी.), के-पॉकेट लोहिया नगर, मेरठ, माप 114.00 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री राजकुमार मदान एवं श्री हरिओम मदान दोनों पुत्र श्री चमन लाल मदान, सीमाएँ: पूर्व: 6 मीटर, एल.आई.जी. क्वार्टर जुड़ा हुआ, पश्चिम: 6 मीटर, 18 फीट चौड़ा जुड़ा हुआ रोड, उत्तर: 19 मीटर, श्री राजकुमार मदान का जुड़ा हुआ प्लॉट नं० के-884, दक्षिण: 19 मीटर, श्री एप्पू का जुड़ा हुआ प्लॉट नं० के-882 सम्पत्ति नं० 2. आवासीय प्लॉट नं० के-864, स्थित डा० राम मनोहर लोहिया नगर मेरठ, माप 114.00 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री हरिओम मदान पुत्र श्री चमन लाल मदान, सीमाएँ: पूर्व: 6 मीटर 18 फीट चौड़ा रोड, पश्चिम: 6 मीटर एल.आई.जी. क्वार्टर, उत्तर: 19 मीटर, प्लॉट नं० के-863, दक्षिण: 19 मीटर, प्लॉट नं० के-865.	18.04.2019	03.08.2019	₹ 47,34,191.40/- + ब्याज दिनांक 01.04.2019 एवं अन्य खर्चें
	3. सिकन्दर-2 शास्त्री नगर	मैसर्स अल-मदानी इंटरप्राइजेज (खाता संख्या- 400900870 0001939) पुत्र मौहम्मद इब्राहिम (ऋणी) पता: 29/ए, जनकपुरी, मोहिनीवादा, मेरठ 3. श्री हाजी मौहम्मद पुत्र हाजी जवरा खान (गारंटर) पता: 92/1, फिलोखेड़ी रोड, निकट जगदीश वर्माकोठी, मेरठ, 4.मौहम्मद इब्राहिम पुत्र अब्दुल हाफिज (गारंटर) पता: 29/ए, जनकपुरी, मोहिनीवादा, मेरठ	1. मैसर्स अल-मदानी इंटरप्राइजेज (खाता संख्या- 400900870 0001939) पुत्र मौहम्मद इब्राहिम (ऋणी) पता: 29/ए, जनकपुरी, मोहिनीवादा, मेरठ 3. श्री हाजी मौहम्मद पुत्र हाजी जवरा खान (गारंटर) पता: 92/1, फिलोखेड़ी रोड, निकट जगदीश वर्माकोठी, मेरठ, 4.मौहम्मद इब्राहिम पुत्र अब्दुल हाफिज (गारंटर) पता: 29/ए, जनकपुरी, मोहिनीवादा, मेरठ	सम्पत्ति नं० 1:-आवासीय मकान नं० 29/ए, मकान नं० 29 का भाग, कैलाश भवन रोड, जनकपुरी मेरठ, माप क्षेत्रफल 115.47 वर्ग मीटर, मौहम्मद सौहार्द इब्राहिम पुत्र श्री अब्दुल हाफिज एवं श्री वकील अहमद पुत्र श्री मौहम्मद पुत्र श्री मौहम्मद इब्राहिम। सीमाएँ: पूर्व: 20'-8" मीटर संबंधित रास्ता 40' चौड़ा, पश्चिम: 20'-2" संबंधित आरकस अहमद का मकान, उत्तर: 60'-4" संबंधित श्री अयूब का मकान, दक्षिण: 61'-5" संबंधित हसीन का मकान। सम्पत्ति नं० 2:-आवासीय मकान नं० 92/ए, मकान नं० 92 का भाग, मौहल्ला फिलोखेड़ी रोड, जनकपुरी रोड, मेरठ माप क्षेत्रफल 83.61 वर्गमीटर, सम्पत्ति स्वामी हाजी मौहम्मद अब्दुल पुत्र हाजी जवरा खान। सीमाएँ:-पूर्व: 30'-0" संबंधित अलीम अहमद का मकान, पश्चिम: 30'-0" मनावर सुल्ताना का मकान, उत्तर: 30'-0" संबंधित गती, दक्षिण: 30'-0" संबंधित चमनलाल का मकान	29.05.2019	03.08.2019	₹ 94,87,131.98/- + ब्याज दिनांक 01.04.2019 एवं अन्य खर्चें
	4. कंकड़ खंडा मेरठ	मैसर्स साहू डेयरी	श्री शाहबुद्दीन पुत्र श्री गबरूद्दीन, 21 मौहल्ला नवीं चमरान, सरयना-2450342	सम्पत्ति नं० 1:- भूमि व भवन खसरा नं० 123 का भाग एमआई, निकट शिव मन्दिर एवं इलेक्ट्रिक हाऊस, सरयना, सम्पत्ति स्वामी नवाब मलिक पुत्र शाहबुद्दीन। सम्पत्ति नं० 2:-डेयरी भवन खसरा नं० 2611 का भाग, मौहल्ला छावनी सरयना, सम्पत्ति स्वामी शाहबुद्दीन पुत्र गबरूद्दीन।	30.04.2019	05.07.2019	1,28,24,491/- + ब्याज दिनांक 01.04.2019 एवं अन्य खर्चें
	5. कंकड़ खंडा मेरठ	मैसर्स वी.एस जैलर्स	विवेक कुमार पुत्र श्याम सिंह गर्ग, निवासी-130, लाला का बाजार, मेरठ	सम्पत्ति नं० 1:-दुकान नं० एस-215 एवं एस-216 द्वितीय लोर, सम्पत्ति नं०. 185 का भाग, आठू लाना विन्डरुड़ी रोड, कैट, सम्पत्ति स्वामित्व श्रीमती शिवानी गर्ग एवं श्री विवेक गर्ग। सम्पत्ति नं० 2:-दुकान नं० एस-213 एवं एस-214 द्वितीय स्क्वोर, सम्पत्ति नं०. 185 का भाग, आठू लाना रिनद्र रोड, मेरठ, कैट, सम्पत्ति स्वामित्व श्री सौरभ गर्ग पुत्र श्री श्याम सिंह गर्ग।	30.04.2019	05.07.2019	1,28,24,491/- + ब्याज दिनांक 01.04.2019 एवं अन्य खर्चें
दिनांक: 05.08.2019				स्थान: मेरठ	प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक		